न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुनिदेव यादव, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 07/24 (225 आर. टी. एक्ट)
जीसीएमएस संख्या :–2024/54

उनवान

1. भजनलाल पुत्र मदन
2. रामकरन पुत्र मदन
3. दयाराम पुत्र मदन
4. लखनलाल पुत्र फूँसिया
5. अतर सिंह पुत्र फूँसिया
6. विजय सिंह पुत्र फूँसिया
7. राधेश्याम पुत्र फूँसिया
8. मंगली वेवा सियाराम
9. रामेश्वर पुत्र सियाराम
10. कुंवर सिंह पुत्र सियाराम

} जाति माली निवासी चैटौली तहसील भुसावर जिला भरतपुर।

11. राधा पुत्री सियाराम पत्नी चिम्मन जाति माली निवासी रामपुरा चामड का नगला तहसील कठूमर जिला अलवर।
12. रति पुत्री सियाराम पत्नी कन्हैया जाति माली निवासी रामपुरा चामड का नगला तहसील कठूमर जिला अलवर।

.......................अपीलांट।

बनाम

1. लक्ष्मी पत्नी रामदयाल
2. ताराचन्द पुत्र रामदयाल
3. राजेन्द्र पुत्र रामदयाल
4. महावीर पुत्र पीतम

} जाति जाटव निवासी चैटौली तहसील भुसावर जिला भरतपुर।

...............................रेस्पोंडेंट।

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 29.05.2024 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भुसावर उनवानी लक्ष्मी बनाम भजनलाल मु0न0 03/2019 व 5/23

उपस्थितिः–

1. वकील अपीलांट श्री सोनीराम शर्मा उपस्थित।
2. वकील रैस्पोडेण्ट श्री दिनेश श्रीवास्तव उपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 12.09.2024

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर के आदेश दिनांक 29.05.2024 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी/रैस्पो0 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए इस

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 790 वाके ग्राम चैंटोली तहसील भुसावर में स्थित है। जिसके आवागमन के लिये लाल रंग से प्रदर्शित 55 फुट लम्बाई व 15 फुट चौडाई का अर्थात 825 वर्ग फुट क्षेत्रफल का रास्ता लेना चाहता है। चूंकि इस रास्ते की खातेदारी अन्य खातेदार अप्रार्थीगण/अपीलाण्ट के नाम है, जो आये दिन रास्ता निकलने में व्यवधान व रूकावट पैदा करते रहते हैं और रास्ता का उपयोग नहीं करने देना चाहते हैं। अतः अप्रार्थीगण/अपीलाण्ट की आराजी खसरा नम्बर 792 में से रास्ता लेने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र बाद सुनवाई, दिनांक 05.04.2022 से स्वीकार करते हुये, प्रार्थीगण/रैस्पो0 को खसरा नम्बर 868/624 व 867/783 में से रास्ता दे दिया। जिससे व्यथित होकर प्रार्थीगण/रैस्पो0 द्वारा एक अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गयी, जो न्यायालय हाजा से दिनांक 06.07.2023 को आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 05.04.2022 को अपास्त किया जाकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित की गयी। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.05.2024 से प्रार्थी रैस्पो0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खसरा नम्बर 792 में से रास्ता दे दिया। जिससे व्यथित होकर अप्रार्थी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलव किया गया। तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप नहीं है। रैस्पो ने स्वयं की खातेदारी के खसरा नम्बर 790 के आवागमन हेतु अपीलांट की खातेदारी के खसरा नम्बर 792 में से रास्ता चाहा था। यह है कि रैस्पो0 को अपनी आराजी पर पहुॅचने के लिये शमसान में से होकर रास्ता उपलब्ध है एवं वह चालू है। किसी व्यक्ति को रास्ता तभी दिया जा सकता है, जब उनकी आराजी पर आने जाने हेतु रास्ता उपलब्ध ना हो। पूर्व में रास्ता खसरा नम्बर 868/624 व 867/783 में से दिया। जिसकी अपील रैस्पो0 ने न्यायालय हाजा में की, जो आंशिक स्वीकार हुयी एवं आदेश दिये कि खसरा नम्बर 868/624 व 867/783 के खातेदारो का पक्षकार मुकदमा बनाया जाकर, पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित की गयी। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने खसरा नम्बर 868/624 व 867/783 के खातेदारो को पक्षकार मुकदमा ही नहीं बनाया एवं पुनः खसरा नम्बर 792 में से बिना तहसीलदार की रिपोर्ट तलव किये पूर्व वाली रिपोर्ट के आधार पर ही रास्ता दे दिया, जो खिलाफ कानून हैं। अन्त में अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त करते हुये पक्षकारान की उपस्थिति में पुनः मौका रिपोर्ट तलव करते हुये, विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत आदेश है, जिसमें हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं रहती है। अपीलाण्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में खसरा नम्बर 792 में से रास्ता चाहा गया है। खसरा नम्बर 791 शमसान है, जिसमें से कभी भी रास्ता बंद हो सकता है। पूर्व में खसरा नम्बर 868/624 व 867/783 में से रास्ता दिया गया था , वह रास्ता गॉव के बाहर होकर है एवं लम्बा रास्ता है। इसलिये रैस्पो0 ने खसरा नम्बर 868/624 व 867/783 के खातेदारो को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया था। मौका रिपोर्ट में रास्ते हेतु तीन प्रस्ताव दिये गये हैं एवं खसरा नम्बर 792 वाला प्रस्ताव सबसे सुगम एवं कम दूरी वाला है। पैसा जमा हो चुका है, राजस्व रिकार्ड में अमल भी हो गया। रास्ता चालू है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

5. हमने बहस उभयपक्ष के तर्को पर मनन किया एवं अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया। हम पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्व में खसरा नम्बर 868/624 व खसरा नम्बर 867/783 में से रास्ता दिया गया था। जिसके विरूद्ध रैस्पो0 ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की जो न्यायालय हाजा से दिनांक 06.07.2023 को आंशिक स्वीकार करते हुये इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेपित की गयी थी कि प्रकरण में खसरा नम्बर 868/624 व खसरा नम्बर 867/783 के खातेदारो को पक्षकार बनाते हुये एवं उन्हें सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में दिये गये प्रावधानो, अत्यांतिक आवश्यकता एवं वैकल्पिक रास्ते का अभाव बाबत् पूर्ण विवेचना करते हुये विधिसम्मत निर्णय पारित करें। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने ना तो खसरा नम्बर 868/624 व 867/783 के खातेदारो को पक्षकार मुकदमा ही बनाया एवं ना ही अपीलाधीन आदेश में रास्ते हेतु अत्यांतिक आवश्यकता एवं वैकल्पिक रास्ते का अभाव का ही विवेचन किया एवं पूर्व में अधीनस्थ न्यायालय ने जिस प्रस्ताव संख्या 02 को अस्वीकार किया गया था, को ही सही माना जाकर रैस्पो0 को खसरा नम्बर 792 में से रास्ता दे दिया। जबकि प्रकरण में परिस्थिति बदलने पर अधीनस्थ न्यायालय को चाहिये था कि वह प्रकरण में पुनः तहसीलदार से रास्ते हेतु प्रस्ताव तलव करते परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसा ना करते हुये, पूर्व में प्राप्त प्रस्तावो के आधार पर ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जो न्यायोचित नहीं है। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य पाते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.05.2024 अपास्त किये जाते हैं एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में तहसीलदार से पुनः रास्ते हेतु प्रस्ताव तलव करते हुये एवं न्यायालय हाजा के पूर्व आदेश दिनांक 06.07.2023 में दिये गये निर्देशो की पूर्ण पालना करते हुये, पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। चूंकि दौराने बहस रैस्पो0 अपीलाधीन आदेश की पालना होना कथन करते हैं अतः दौराने वाद विवादित आराजी के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने के भी आदेश दिये जाते हैं एवं उभयपक्षकारान् को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 30.10.2024 को सुनवाई हेतु उपस्थित होवें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

7. निर्णय आज दिनांक 12.09.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुनिदेव यादव)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर